ऑन लाईन नं. RCMS 2025/4

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 01/2025

1. श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री गुलशन सिंह जाति जटसिख निवासी 42—गुरूनगर, वार्ड नम्बर 11, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहरी, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1. अधिवक्ता अपीलार्थी श्री अमित स्वामी
2. विभागीय प्रतिनिधि बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर (शहर)।

अपील विरूद्ध शहरी चयन समिति श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.11.24 को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन करने बाबत।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

:: आदेश :: दिनांक : 18.03.2025

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :—

1. यह कि प्रार्थीया ने श्रीमान उपनिदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्रांक 3173 दिनांक 12.03.24 विज्ञप्ति सं0 01/2024 के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र 6 ए मिनी वार्ड नं० पुराना 6, नया 11, श्रीगंगानगर में कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया था।
2. यह कि इसके पश्चात् तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में पूर्व चयन समिति की बैठक के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रथम स्थान पर दर्ज प्रार्थीया अमनदीप कौर के निवास के संबंध में आक्षेप दर्ज हुए। इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 1634 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा कमेटी गठित कर जांच करवाई गई तो प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदन कर्ता के स्थानीय निवास के संबंध में अभी भी स्थिति विवादस्पद है। अतः इस पद के लिए प्राप्त समस्त आवेदन चयन समिति द्वारा सर्वसहमति से निरस्त किया जाता है आदि आदि पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी।
3. यह कि प्रार्थीया का वरियता सूची में प्रथम स्थान आने पर चयन होना निश्चित था परन्तु राजनैतिक प्रभाव व वार्ड पार्षद की शिकायत पर भर्ती निरस्त किये जाने का आदेश हुआ है। शहरी चयन समिति श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थिया के आवेदन—पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया तथा प्रार्थीया के मूल दस्तावेज का भी अवलोकन नहीं किया गया। केवल मात्र जांच की लीपापोती की जाकर वार्ड पार्षद के प्रभाव में भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई। आदेश प्रतिलिपि संलग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

4. यह कि शहरी चयन समिति श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीया के मूल दस्तावेज इसी वार्ड के हैं। प्रार्थिया का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वोट पहचान पत्र, मूल निवास, जन आधार, मूल किरायानामा आदि प्रमाण–पत्र इसी वार्ड के हैं तथा प्रार्थीया का ससुराल भी यहीं है केवल मात्र शिकायत के आधार पर बिना किसी जांच किये तथा राजनैतिक प्रभाव के कारण भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई है। आदेश निरस्तनीय है। मूल दस्तावेज प्रतिलिपि संलग्न है।
5. यह कि चयन परिपत्र के अनुसार उसी वार्ड की महिला होना आवश्यक है तथा दस्तावेज भी इसी वार्ड के होने आवश्यक है और प्रार्थीया के तमाम दस्तावेज इसी वार्ड के हैं जिनका अवलोकन चयन समिति द्वारा न किया जाकर भारी भूल की गई है। इसलिये भी आदेश निरस्त योग्य है।
6. यह कि प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव से, विधि विरूद्ध, नियमों विरूद्ध, राजनैतिक प्रभाव तथा चयन समिति में पार्षद महोदय के प्रभाव में प्रार्थिया के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए प्रार्थिया का चयन नहीं किया गया जबकि प्रार्थिया इसी वार्ड की महिला है परन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थीया का चयन न कर भर्ती निरस्त की गई है।
7. यह कि प्रार्थीया को आदेश की प्रति आज ही प्राप्त हुई है तथा बिना देरी के प्रार्थीया ने श्रीमान जी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है।
8. यह कि अपील श्रीमान जी के श्रवणाधिकारी व क्षेत्राधिकार की है और पुर्ण कोर्ट फीस व मियाद पर पेश है।

लिहाजा अपील विरूद्ध शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया जाना सुनिश्चित कर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें आपकी मेहरबानी होगी।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर (शहर) से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर (शहर) ने अपने पत्रांक 1086 दिनांक 22.01.2025 द्वारा जबाब नोटिस एवं रिकॉर्ड पेश किया गया। श्रीमान उपनिदेशक महोदय, श्रीगंगानगर के द्वारा जारी विज्ञप्ति–01/2024 कमांक–3173 दिनांक–12.03.2024 के द्वारा इस रिक्त पद हेतू आवेदन फार्म मांगे गये थे। इस विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन फार्म लेने की दिनांक–18.03.2024 से 18.04.2024 को साय: 5:00 बजे तक थी। प्रति संलग्न । आ०बा० केन्द्र 6ए मिनी नया वार्ड 11 कार्यकर्ता हेतू कुल 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिसमें श्रीमती अमनदीप कौर का अस्थाई वरीयता सूची व विभागीय फार्मेट के अनुसार ग्रेडिंग मे प्रथम स्थान पर थी। उपरोक्त प्राप्त आवेदन–पत्रों पर दिनांक–11.07.2024 को तत्कालीन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में चयन समिति के समक्ष विचार किया गया तो संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा इनकी स्थनीयता पर आक्षेप लगाया गया कि श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री गुलशन सिंह इस वार्ड की निवासी नही है। प्रति संलग्न। इसी कम में उक्त चयन प्रक्रिया को लम्वित रखते हुए तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा पत्रांक–1151 दिनांक–29.07.24 के द्वारा रिहायश / निवास के संबंध में जांच श्रीमान आयुक्त महोदय नगर परिषद श्रीगंगानगर और अधोहस्ताक्षर से मांगी गई। प्रति संलग्न। इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक–453 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा भिजवा दी गई और नगर परिषद श्रीगंगानगर पत्रांक–5198 दिनांक–18.11.

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2024 के द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट भिजवा दी गई थी। प्रति संलग्न । नगर परिषद, अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त जांच रिपोर्ट तथा संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा एतराज/विरोध जाहिर करने के कारण वर्तमान श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक–1634 दिनांक–21.11.2024 के द्वारा जांच कमेटी का गठन कर उक्त कमेटी की रिपोर्ट 22.11.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक चाही गई। प्रति संलग्न। जांच कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदनकर्ता के स्थानीय निवास के संबंध में स्थिति विवादस्पद होने के कारण प्राप्त समस्त आवेदन चयन समिति द्वारा दिनांक–22.11.2024 को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिये गये।

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने दौराने बहस में कथन किया कि :–

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपील के बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि श्रीमान उपनिदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्रांक 3173 दिनांक 12.03.24 विज्ञप्ति सं0 01/2024 के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र 6 ए मिनी वार्ड नं० पुराना 6, नया 11, श्रीगंगानगर में कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया था। इसके पश्चात् तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में पूर्व चयन समिति की बैठक के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रथम स्थान पर दर्ज प्रार्थीया अमनदीप कौर के निवास के संबंध में आक्षेप दर्ज हुए। इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 1634 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा कमेटी गठित कर जांच करवाई गई तो प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदन कर्ता के स्थानीय निवास के संबंध में अभी भी स्थिति विवादस्पद है। अतः इस पद के लिए प्राप्त समस्त आवेदन चयन समिति द्वारा सर्वसहमति से निरस्त किया जाता है। प्रार्थीया के मूल दस्तावेज का भी अवलोकन नहीं किया गया। केवल मात्र जांच की लीपापोती की जाकर वार्ड पार्षद के प्रभाव में भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई। प्रार्थिया का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वोट पहचान पत्र, मूल निवास, जन आधार, मूल किरायानामा आदि प्रमाण–पत्र इसी वार्ड के हैं तथा प्रार्थीया का ससुराल भी यहीं है केवल मात्र शिकायत के आधार पर बिना किसी जांच किये तथा राजनैतिक प्रभाव के कारण भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जांच कमेटी रिपोर्ट दिनांक–22.11.2024 निरस्त कर अपीलार्थी का चयन आंगनबाड़ी केन्द्र 6 ए मिनी वार्ड नं० पुराना 6, नया 11, श्रीगंगानगर में कार्यकर्ता के पद हेतु किया जावें।

विभागीय प्रतिनिधि उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान उपनिदेशक महोदय, श्रीगंगानगर के द्वारा जारी विज्ञप्ति–01/2024 कमांक–3173 दिनांक–12.03.2024 के द्वारा इस रिक्त कार्यकर्ता के पद हेतू आवेदन फार्म मांगे गये थे। विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन फार्म लेने की दिनांक–18.03.2024 से 18.04.2024 को सायः 5:00 बजे तक थी। आ०बा० केन्द्र 6ए मिनी नया वार्ड 11 कार्यकर्ता हेतू कुल 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें श्रीमती अमनदीप कौर का अस्थाई वरीयता सूची व विभागीय फार्मेट के अनुसार ग्रेडिंग मे प्रथम स्थान था। उपरोक्त प्राप्त आवेदन–पत्रों पर दिनांक–11.07.2024 को तत्कालीन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में चयन समिति के समक्ष विचार किया गया तो संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री गुलशन सिंह जाति जटसिख निवासी 42–गुरुनगर, वार्ड नम्बर 11, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर स्थनीयता पर आक्षेप लगाया गया कि श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री गुलशन सिंह इस वार्ड की निवासी नही है। इसी कम में उक्त चयन प्रक्रिया को लम्वित रखते हुए तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा पत्रांक–1151 दिनांक–29.07.24 के द्वारा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

रिहायश / निवास के संबंध में जांच श्रीमान आयुक्त महोदय नगर परिषद श्रीगंगानगर और अधोहस्ताक्षर से मांगी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहरी, श्रीगंगानगर के पूर्व पत्रांक–453 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा भिजवाई गई " **मुताबिक रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहरी, श्रीगंगानगर अमनदीप कौर पत्नी गुलशन सिंह का सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक से भौतिक सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उक्त आवेदनकर्ता इस वार्ड में नहीं रहती। इस सम्बन्ध में आस–पास के लोगों तथा वार्ड पार्षद के लिखित बयान सलग्न है।** एवं नगर परिषद श्रीगंगानगर पत्रांक–5198 दिनांक–18.11.2024 के द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। **मुताबिक रिपोर्ट नगर परिषद, श्रीमती अमनदीप कौर के आधारकार्ड में पता वार्ड नम्बर 09, एवं उसके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का जन्म वार्ड नम्बर 09 का बना हुआ है।** उक्त जांच रिपोर्ट तथा संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा एतराज/विरोध जाहिर करने के कारण जांच कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदनकर्ता के स्थानीय निवास के संबंध में स्थिति विवादस्पद होने के कारण प्राप्त समस्त आवेदन चयन समिति द्वारा दिनांक–22.11.2024 को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिये गये। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उपनिदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्रांक 3173 दिनांक 12.03.24 विज्ञप्ति सं0 01/2024 के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र 6 ए मिनी वार्ड नं० पुराना 6, नया 11, श्रीगंगानगर में कार्यकर्ता के रिक्त पदो हेतु आवेदन चाहे गये थे। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विभाग विभाग, श्रीगंगानगर ने निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांकः प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/ 57871–58286 जयपुर दिनांक 01.03.2024 की पालना में जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदो की विज्ञप्ति क्रमांक 3173 दिनांक 12.03.2024 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदो हेतु जारी पदो के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग के परिपत्र 4244 दिनांक 12.01.2023 में दिये गये निर्देशानुसार चयन किया जाना है।

तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री गुलशन सिंह जाति जटसिख निवासी 42–गुरूनगर, वार्ड नम्बर 11, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर स्थनीयता पर आक्षेप लगाया गया कि श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री गुलशन सिंह इस वार्ड की निवासी नही है। इसी क्रम में उक्त चयन प्रक्रिया को लम्वित रखते हुए तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा पत्रांक–1151 दिनांक–29.07.24 के द्वारा रिहायश / निवास के संबंध में जांच श्रीमान आयुक्त महोदय नगर परिषद श्रीगंगानगर और अधोहस्ताक्षर से मांगी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहरी, श्रीगंगानगर के पूर्व पत्रांक–453 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा भिजवाई गई " **मुताबिक रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहरी, श्रीगंगानगर अमनदीप कौर पत्नी गुलशन सिंह का सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक से भौतिक सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उक्त आवेदनकर्ता इस वार्ड में नहीं रहती। इस सम्बन्ध में आस–पास के लोगों तथा वार्ड पार्षद के लिखित बयान सलग्न है।** एवं नगर परिषद श्रीगंगानगर पत्रांक–5198 दिनांक–18.11.2024 के द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। **मुताबिक रिपोर्ट नगर परिषद, श्रीमती अमनदीप कौर के आधारकार्ड में पता वार्ड नम्बर 09, एवं उसके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का जन्म वार्ड नम्बर 09 का बना हुआ है।** उक्त जांच रिपोर्ट तथा संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा एतराज/विरोध जाहिर करने के कारण जांच कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदनकर्ता के स्थानीय निवास के संबंध में स्थिति विवादस्पद होने के कारण प्राप्त समस्त आवेदन चयन समिति द्वारा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

दिनांक–22.11.2024 को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिये गये। परन्तु अपीलार्थीया श्रीमती अमनदीप कौर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड वार्ड नम्बर 11, जनआधार कार्ड वार्ड नम्बर 11, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 15.04.2024 को जारी किया गया है में निवास वार्ड नम्बर 11 अंकित किया गया है। विभागीय प्ररिपत्र के अनुसार कोई निवास के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उसी वार्ड के होने चाहिए जिस वार्ड के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है जबकि अपीलार्थीया के पास नया वार्ड 11 पुराना वार्ड नम्बर 06 के चार दस्तावेजात मौजूद है। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा जांच रिपोर्ट तथा संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा एतराज/विरोध जाहिर करने के कारण जांच कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदनकर्ता के स्थानीय निवास के संबंध में स्थिति विवादस्पद होने के कारण प्राप्त समस्त आवेदन चयन समिति द्वारा दिनांक–22.11.2024 निरस्त कर दी गई थी, जबकि अपीलार्थीया के पास निवास के प्रयाप्त दस्तावेजात है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थीया आशिंक स्वीकार की जाकर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का पूर्नविलोकन कर अगर अपीलार्थीया के निवास के सम्बन्ध में दस्तावेजात उपनिदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्रांक 3173 दिनांक 12.03.24 विज्ञप्ति सं0 01/2024 में जारी विज्ञप्ति से पूर्व के है तो अपीलार्थीया के आवेदन पर पुनः विचार किया जावें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहरी, श्रीगंगानगर भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।